भारत में शुरू की गई वित्तीय समावेशन योजनाओं का एक अध्ययन

Vinita Mishra[1] , Dr. Brajesh Kumar Singh[2]

[1]Research Scholar, Department of Commerce, YBN University, Ranchi, Jharkhand

[2]Associate Professor and Dean of Commerce & Management, YBN University, Ranchi, Jharkhand

सारांश

किसी भी देश के विकास के लिए वित्तीय समावेशन किसी भी सरकार की प्राथमिकता है। यह समाज के आर्थिक रूप से बहिष्कृत वर्गों को अर्थव्यवस्था की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है। भारत में वित्तीय समावेशन का प्रयास नया नहीं है, रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, बैंक मित्र मॉडल, स्वाभिमान अभियान आदि जैसी कई पहल की हैं। इन विभिन्न उपायों के बावजूद वित्तीय समावेशन, गरीबी और बहिष्करण भारतीय अर्थव्यवस्था की आजादी के छह दशकों के बाद भी हावी है। लेकिन भारत सरकार और आरबीआई ने शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में मोदी सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) है। इस योजना को बुनियादी बैंकिंग खाते, ओवरड्राफ्ट सुविधा, रुपे डेबिट कार्ड, इन-बिल्ट लाइफ और दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस योजना ने एक सीमित अवधि के भीतर अधिकतम संख्या में खाते खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का उपयोग किया है।

मुख्यशब्द: वित्तीय समावेशन, खंड, वित्तीय प्रणाली, सुविधा, पीएमजेडीवाई

प्रस्तावना

असमानता से पीड़ित भारत जैसे देश के समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन और वित्त की समानता बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वित्त की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता वित्तीय समावेशन का अंतिम उद्देश्य है। पिरामिड के निचले हिस्से में लोगों को बाहर करना गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी उपशमन के लिए वित्त का प्रावधान एक पूर्वापेक्षा है। (जोशी 2011) बैंक रहित लोगों को बचत की आदत डालने के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन की बहुत आवश्यकता है। इससे अर्थव्यवस्था का पूंजी निर्माण भी हुआ। बैंक रहित आबादी का अधिकांश हिस्सा परिवार, दोस्तों और साहूकारों जैसे क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करता है। उन्हें ऋण के औपचारिक और पारदर्शी स्रोत प्रदान करने से ग्रामीण इलाकों में उनकी उत्पादकता और समृद्धि में वृद्धि होगी। वित्तीय समावेशन को सब्सिडी और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बीच की खाई को भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार गरीब लोगों के लिए सब्सिडी, कल्याणकारी उपायों आदि पर भारी मात्रा में धन खर्च करती है। लेकिन यह पैसा उन तक नहीं पहुंचता। चूंकि यह पैसा सरकारी नौकरशाही की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा लीक हो जाता है और अंतिम लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस रिसाव को कम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। ऐसा ही एक उपाय है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जहां उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान करने और नकद भुगतान करने के बजाय लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। इससे सब्सिडी का बिल भी कम होगा और वास्तविक लाभार्थियों को कल्याणकारी उपायों का लाभ मिलेगा। इन सभी प्रयासों के लिए सभी तक पहुंचने के लिए पूर्ण वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के लिए आर्थिक विकास का नया मॉडल है। भारत में आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई रणनीतियों ने अर्थव्यवस्था के विकास और वित्तीय समावेशन के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध की पहचान की है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन को बहुत महत्व दिया था। अनुभवजन्य साक्ष्यों से पता चला है कि जिन देशों में वित्तीय सेवाओं से बाहर की गई बड़ी आबादी वाले देशों में गरीबी और असमानता की दर अधिक थी। विशेष रूप से बैंक खातों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच गरीबों को कम और अनियमित आय की कठिनाई को दूर करने के लिए बचत और निवेश की आदत डालने में मदद करती है। गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने से गरीबी को कम करने में मदद मिलती है जिससे समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था का विकास होता है। (पटनायक, सत्पथी और चंद्रा सुपर 2015) इस प्रकार वित्तीय समावेशन किसी देश के समावेशी और सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वित्तीय समावेशन सभी लोगों द्वारा वित्तीय प्रणाली की पहुंच और उपयोग सुनिश्चित करता है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय समावेशन समाज के आर्थिक रूप से बहिष्कृत वर्ग को अर्थव्यवस्था की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है। के.सी. के अनुसार चक्रवर्ती डिप्टी गवर्नर आरबीआई "वित्तीय समावेशन उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जो सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों और कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए उचित और पारदर्शी रूप से उचित और पारदर्शी रूप से आवश्यक है। मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ी।" वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य समाज के अधिकांश असंबद्ध, वंचित और निम्न-आय वर्ग के लोगों को उनके जीवन स्तर और सामान्य आर्थिक विकास में सुधार के लिए उचित लागत पर बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। (लीलाधर 2006)। भारत सरकार (2008) ने वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जहां कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर समूहों को सस्ती कीमत पर समय पर और पर्याप्त ऋण की आवश्यकता होती है। योजना आयोग (2009) के अनुसार, वित्तीय समावेशन का अर्थ उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुंच है। इनमें न केवल बैंकिंग उत्पाद बल्कि अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और इक्विटी उत्पाद भी शामिल हैं। (इरिंकी और बुर्लाकांति 2017)

भारतीय बैंकिंग ने पिछले पांच दशकों से वित्तीय क्षेत्र में सुधार (1991), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विस्तार, अग्रणी बैंक योजना, वर्ग बैंकिंग से बड़े पैमाने पर बैंकिंग अवधारणा में परिवर्तन, पारंपरिक ईंट से बदलाव जैसे नाटकीय उपाय किए हैं। और मोर्टार शाखाओं से लेकर वर्चुअल बैंकिंग आदि तक। ऐसे सभी बैंकिंग सुधारों के बावजूद भारत के वंचित तबके का एक बड़ा हिस्सा अबाधित है और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित है। (दास और गुहा 2015)।

चित्र 1.1: वित्तीय समावेशन के तत्व

आमतौर पर, वित्तीय समावेशन को समाज के वंचित वर्ग के लिए बैंक खाते खोलने के रूप में गलत समझा जाता है। लेकिन अगर हम रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय समावेशन के ढांचे को देखें, जैसा कि ऊपर दिए गए आरेख में बताया गया है, वित्तीय समावेशन में बैंक खातों के माध्यम से बचत जुटाना, किफायती ऋण प्रदान करना, भुगतान और प्रेषण सुविधा प्रदान करना, उचित वित्तीय प्रदान करना शामिल है। सलाह और बीमा सेवाएं प्रदान करना (बंसल, गर्ग और कुमार 2015)।

चित्र 1.2: वित्तीय समावेशन का मापन

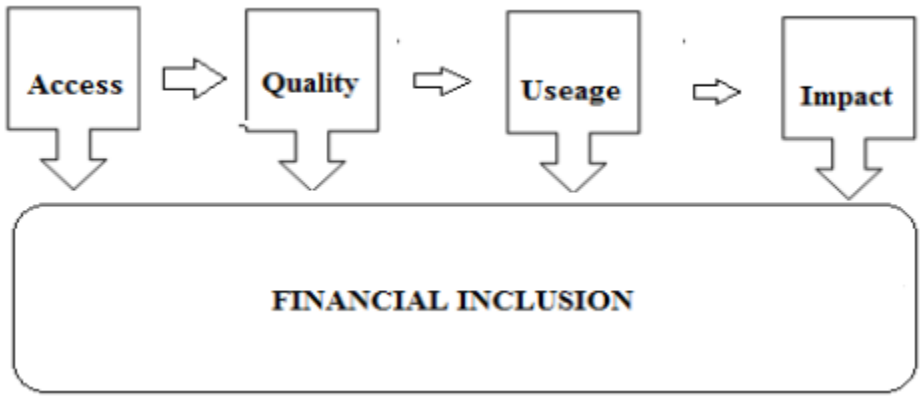

हैनिग और जेनसन (2010) और सेराओ, सेक्वेरा और हंस (2012) के अनुसार, वित्तीय समावेशन को उपरोक्त चार मानदंडों के माध्यम से मापा जा सकता है। पहला एक्सेस है। वित्तीय समावेशन को मापने के लिए बैंक और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मुख्य मानदंड है। यदि लोगों की इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है, तो कोई वित्तीय समावेशन नहीं हो सकता है। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, बैंकिंग और

वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुणवत्ता का अर्थ है लोगों की आवश्यकता और जीवन शैली के लिए वित्तीय साधनों की प्रासंगिकता और उपयुक्तता। तीसरा उपयोग वित्तीय समावेशन को मापने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य केवल एक बैंक खाता खोलकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि इन सेवाओं का उनके द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। अंत में, इन वित्तीय सेवाओं के उपयोग के बाद वंचित लोगों के जीवन और जीवन स्तर में परिवर्तन सहित प्रभाव वित्तीय समावेशन की सीमा को मापेगा।

भारत में वित्तीय समावेशन

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नाममात्र जीडीपी में पांचवां सबसे बड़ा और पीपीपी (क्रय शक्ति समता) में तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भले ही भारत विकास और विकास के सभी लक्षण दिखा रहा है, फिर भी आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित एमपीआई) के अनुसार, भारत में गरीबी का स्तर लगभग 55% (2010) है। भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में कई उपाय किए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश प्रणाली की अक्षमता, नौकरशाही और भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में अपने प्रयास को नहीं रोका और इसे एक चुनौती के रूप में लिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने जो प्रमुख रास्ता चुना था, वह है वित्तीय समावेशन कार्यक्रम। 132.42 करोड़ (2016 के अंत) की आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी कुल बैंक शाखाएं 1.3 लाख (जून 2016) थीं। 10186 लोगों की सेवा के लिए एक बैंक शाखा थी। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 40% आबादी को आर्थिक रूप से बाहर रखा गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GOI) ने इस बहिष्कृत क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन की दिशा में कई उपाय किए हैं जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार, व्यापार संवाददाता या बैंक मित्र मॉडल, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, मोबाइल बैंकिंग, स्वाभिमान अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आदि (रंजनी, भापत 2015)।

भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल

भारत में वित्तीय समावेशन की पहल वर्ष 1904 में एक सहकारी बैंक की स्थापना के साथ शुरू हुई। वित्तीय समावेशन की दिशा में बाद के प्रमुख कदमों में 1969 और 1980 में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना, ईंट और मोर्टार शाखाएं, व्यापार पत्राचार और व्यापार सुविधा, मोबाइल बैंकिंग, स्वाभिमान अभियान आदि के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पहुंच (नंदा और कौर 2014)। भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास नए नहीं थे। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में कई पहल की हैं। 2005-2006 में वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा में, आरबीआई ने सभी बैंकों को वित्तीय समावेशन के मुख्य उद्देश्य के साथ अपनी नीतियों को फिर से तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- **बैंकों का राष्ट्रीयकरण**

बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहल थी। 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्होंने भारत में जमा राशि के 70 प्रतिशत को नियंत्रित किया। 1980 में अन्य छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भारत में वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख मील का पत्थर है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

➢ **एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम**

भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम था। वर्ष 1987 में नाबार्ड ने इस मॉडल में सबसे पहले निवेश किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मॉडल को क्रेडिट मॉडल के विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। इस पहल में, नाबार्ड ने बैंकों को पुनर्वित्त का आश्वासन दिया और एसएचजी को सीधे उधार देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए। नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों में निवेश करने के लिए गैर सरकारी संगठनों पर भी जोर दिया। यह 31 मार्च 2011 तक 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करते हुए 74 लाख एसएचजी बनाने में सफल रहा। भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 में महिलाओं के समर्थन के लिए नाबार्ड द्वारा प्रबंधित 500 करोड़ के कोष के साथ एक महिला एसएचजी विकास कोष बनाया था। स्वयं सहायता समूह एसएचजी गरीब लोगों को अपनी बचत जमा करने और जरूरतमंद लोगों को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए एक साथ आने के लिए एक माध्यम बनाने के लिए मुख्य पहलों में से एक है।

➢ **वित्तीय समावेशन कोष का निर्माण**

केंद्र सरकार ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक कोष बनाया है। अल्पकालीन ऋण संस्थाओं के पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड में 5000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है।

निष्कर्ष

PMJDY भारत के वित्तीय समावेशन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। केवाईसी, जीरो बैलेंस अकाउंट्स, रुपे डेबिट कार्ड, ओडी सुविधा, इनबिल्ट लाइफ, और आकस्मिक कवरेज, सरकारी पेंशन और बीमा योजनाओं तक पहुंच, बैंक मित्र मॉडल का उपयोग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सुविधाओं के साथ योजना बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध थी। आदि। हालांकि पीएमजेडीवाई योजना सुनियोजित थी, योजना के कार्यान्वयन में कुछ खामियां थीं जैसे ओडी सुविधा और सभी खाताधारकों को मुफ्त बीमा कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है, बैंकों द्वारा कई बैंक मित्र नियुक्त नहीं किए जाते हैं क्योंकि सरकार ने नहीं किया था। इन लाभों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए बजट प्रावधान करें, केवाईसी में छूट के कारण बैंक खातों का व्यापक दोहराव हुआ और उन लोगों द्वारा खाते भी खोले गए जिनके पास पहले से ही बैंक खाते थे। लोगों के बीच भारी वित्तीय निरक्षरता के कारण जन धन खाते का उपयोग बहुत सीमित हो गया है और वे खातों को संचालित करने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने न तो कोई ऋण लिया है और न ही सरकारी बीमा और पेंशन योजनाओं में निवेश किया है। यह योजना लाभार्थियों के खातों में सीधे गैस सब्सिडी और अन्य लाभों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में सफल रही। प्रधान मंत्री जन धन योजना को समाप्त करना वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक अद्भुत कदम है, वास्तव में भारत में वित्तीय समावेशन में एक महान मील का पत्थर है, लेकिन योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसके क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के कारण यह योजना आज कम प्रभावी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, पी.के., यादव, पी., और पांडे, डी. (2016)। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई): वित्तीय और सामाजिक समावेशन का एक नया मार्ग। प्रबंधन अनुसंधान और समीक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(10), 1443।

अग्रवाल, एस., ड्रिस्कॉल, जे.सी., गैबैक्स, एक्स., और लाइबसन, डी. (2009)। कारण की आयु: जीवन चक्र पर वित्तीय निर्णय और विनियमन के लिए निहितार्थ। आर्थिक गतिविधि पर ब्रुकिंग्स पेपर्स, 2009(2), 51-117.

एजेन, फिशबीन.एल और फिशबीन एम (1980), 'एटिट्यूड को समझना और सामाजिक व्यवहार की भविष्यवाणी करना, एंगल वुड क्लिफ्स, एनजे, पेंटिस-हॉल।

एजेन, आई। (1991)। नियोजित व्यवहार का सिद्धांत। संगठनात्मक व्यवहार और मानव निर्णय प्रक्रिया, 50(2), 179-211।

अमेड्यूर, (2009)। एन एडुकाकाओ फाइनेंसिरा ई एसवा इन्फ्लुएंको नास डिसिप्लिन डे कंज्यूम इनवेस्टमेंटो प्रोपोस्टा डी इनसेरोकाडो, कैरिकुलर डिसर्टाकाओ डे मास्ट्रोडो। यूनिवर्सिटी डू ओस्टे पॉलिस्ता, साओ पाउलो, एसपी ब्रासीला

एंडरसन, जे.सी., और गेरबिंग, डी.डब्ल्यू. (1988)। व्यवहार में संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग: एक समीक्षा और अनुशंसित दो-चरणीय दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक बुलेटिन, 103(3), 411. एटकिंसन, ए., और मेसी, एफ.ए. (2012)। वित्तीय साक्षरता को मापना।

Aysan, A. F., Dolgun, M. H., और Turhan, M. I. (2013)। भागीदारी बैंकों का आकलन और तुर्की में वित्तीय समावेशन में उनकी भूमिका। इमर्जिंग मार्केट्स फाइनेंस एंड ट्रेड, 49(sup5), 99-111।

बम्मी, आर। (2014)। एसएचजी बैंक लिंकेज: मदद के लिए उधार देना?. विजन, 18(3), 237- 244।

बंसल, आर., गर्ग, आर., और कुमार, आर. (2010)। वित्तीय समावेशन-दृष्टिकोण, चिंताएं और आगे की राह। दृष्टिकॉन: ए मैनेजमेंट जर्नल, 1(2), 142.

भट्ट, ए.पी., और पवार, जी. प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)-वित्तीय समावेशन की ओर अभिनव पहल-। लेन-देन जन धन योजना https://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Doc uments/PMJDY से प्राप्त की गई। पीडीएफ।

भट्ट, एस. (2012)। किसान क्रेडिट कार्ड: वित्तीय समावेशन के लिए एक साधन। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और समीक्षा, 1(1), 49-51.

बिहारी, एस. (2011)। भारत में वित्तीय समावेशन के माध्यम से विकास। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स, 4(1), 28-41.

कोनोली, सी., और हज, के. (2001)। वित्तीय सेवाएं और सामाजिक बहिष्कार। वित्तीय सेवाएं

उपभोक्ता नीति केंद्र, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। ब्राउन, एम।, और ग्राफ, आर। (2013)। स्विट्जरलैंड में वित्तीय साक्षरता और सेवानिवृत्ति योजना। अंकगणित, 6(2), 2-23.

ब्रुंथा, पी।, और इंदिराप्रियदर्शिनी, बी। (2015)। पोलाची, तमिलनाडु के स्ट्रीट हॉकर्स के विशेष संदर्भ में वित्तीय समावेशन की जांच। मार्केटिंग मैनेजमेंट के आईयूपी जर्नल, 14(4)।

कैलामोटो, (2010)। परिवार में वित्तीय साक्षरता सीखना। अप्रकाशित मास्टर की थीसिस, समाजशास्त्र विभाग के संकाय सैन जोस राज्य विश्वविद्यालय।

चेन, एच., और वोल्पे, आर.पी. (1998)। कॉलेज के छात्रों के बीच व्यक्तिगत वित्तीय साक्षरता का विश्लेषण। वित्तीय सेवाओं की समीक्षा, 7(2), 107-128.

चौहान, एस.एस., और पांडे, जे.सी. (2014)। प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी छलांग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज, 1(4), 19-22।